दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् खाता विभाजन

डिक्री

दिनांक :- 24/04/2026

वादी की ओर से श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1, 2, 4 की ओर से श्री महेन्द्र सेन अधिवक्ता, राज पैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे स्व. शिवराज सिंह पुत्र सुखपाल सिंह के नाम वर्णित चक 1 टीकेडब्लयू–ए के खाता सं. 121 के प.नं. 16/224 के किला नं. 11, 20, 21 कुल 0.759 हैक. व खाता सं. 122 के प.नं. 14/224 के किला नं. 12/2, 13 ता 17, 18/2, 24, 25, प.नं. 15/224 के किला नं. 11 ता 25 कुल 5.578 हैक. वर्णित कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है जिसमे से स्व. शिवराज सिंह का नाम हक व हिस्सा कलमजन किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नही होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने की दशा मे स्थिति मे उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/ बारानी/ गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा। पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने तथा मूल वाद निर्णय हो जाने से इस न्यायालय द्वारा उक्त अनवान के प्रकरण मे कनफर्म स्थगन आदेश निरस्त समझा जायेगा।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 24/04/26 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी